



सं०सी- 2904 /707/संग्रह-81

दिनांक: 67 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: विशिष्ट क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र।

निदेशक: ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०/ तमिलनाडू, पुदुचेरी, एवं अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह जी०डी०सी०/गुजरात, दमन एवं दीव जी०डी०सी०/असम एवं नागालैण्ड जी०डी०सी०।

विषय: वर्ष 2023 की रिक्तियों के आधार पर अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती।


निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-1 को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मेट्रिक्स में लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. सं. | नाम एवं पद<br>Shri/Md./Smt./Ms.               | वर्तमान तैनाती  | नई तैनाती                               | पात्रता की तिथि |
|----------|---|---|---|-----------------|
| 1.       | N K Verma,<br>Survey Assistant                | Geodetic & Research<br>Branch, Dehradun                             | Geodetic & Research<br>Branch, Dehradun | —               |
| 2.       | Shri Sanjit Bhattacharya,<br>Survey Assistant | West Bengal & Sikkim<br>GDC, Kolkata                                | Eastern Zone, Kolkata                   | —               |
| 3.       | M Eswari,<br>Surveyor                         | Tamil Nadu, Puducherry &<br>Andaman -Nicobar Island<br>GDC, Chennai | GIS & RS, Hyderabad                     | —               |
| 4.       | Surendra Kumar Suthar,<br>Surveyor            | Gujarat, Daman & Diu<br>GDC, Gandhinagar                            | Maharashtra & Goa GDC,<br>Pune          | —               |
| 5.       | Praga Das (SC),<br>Surveyor                   | Assam & Nagaland GDC,<br>Guwahati                                   | Orissa GDC,<br>Bhubaneswar              | —               |

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगी। इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। पदोन्नति की स्वीकृति अथवा पदोन्नति की अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 18-08-2023 तक अवश्य सूचित करें। अधिकारियों द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने पर उनके प्रमाण-पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियाँ इस कार्यालय को शीघ्र भेजने की कृपा करें।

3. उपरोक्त अधिकारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों "no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later." के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी व्यक्ति के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति/ PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
5. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए FR(I)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त अधिकारी को MACP योजना के अन्तर्गत FR(I)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुरूप करें।
7. *These promotion orders are according to the instructions mentioned in DoP&T's OM No.36012/11/2016-Estt.(Res) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP(C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP(C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter. Further subject to outcome of OA No.61/519 of 2018 filed by Shri Jasbir Singh Bangari, then Officer Surveyor Vs Union of India & Others.*
8. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न *Undertaking* प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की *Service Book* में रिकार्ड हेतु रखें।

  
( प्रशान्त कुमार )

उप महासर्वेक्षक  
कृते भारत के महासर्वेक्षक

**प्रतिलिपि:**

1. अपर महासर्वेक्षक, मध्य क्षेत्र।
2. निदेशक: जी0आई0एस0 एण्ड आर0एस0/महाराष्ट्र एवं गोवा जी0डी0सी0/उडीसा जी0डी0सी0।
3. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता।
4. प्रभारी अधिकारी, कार्य अध्ययन एकक (म0स0का0)।
5. **कार्यालय अधीक्षक:** स्थापना-1/जे0सी0एम0 अनुभाग/गोपनीय सहायक (म0स0का0)।
6. महासचिव, सर्वेयर्स एसोसिएशन।
7. वैब एडमिन, म0स0का0/इंचार्ज, ई-ऑफिस, म0स0का0।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Special Leave Petition (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court cases in connected matter.

**Place:**

**Dated:**

**Signature:**

**Name:**

**Address of Office**

Countersigned by Addl SG/Director

वचन पत्र

में अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूं कि मैं Special Leave Petition (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court cases in connected matter के निर्णय का पालन करूंगा।

**स्थान:**

**दिनांक:**

**हस्ताक्षर:**

**कर्मचारी का नाम:**

**कार्यालय:**

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित